ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-3*April- 2018
Innovation The Research Concept

आज की उच्च प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का एक शैक्षाणिक अध्ययन

विमलेश
शोधार्थिनी,
शिक्षा विभाग,
मंगलायतन विश्वविद्यालय,
अलीगढ़

सारांश

दिसम्बर 1959 और जनवरी 1960 में कराची में होने वाली एशियाई देशों के प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय सभा ने प्राथमिक शिक्षा के सर्वप्रथम निम्न उद्देश्य बताए थे–

1. प्राथमिक शिक्षा के मूल आधारों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना।
2. बालकों की भौतिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करके उनके व्यक्तिगत का विकास करना।[1]
3. बालकों में देश–प्रेम अपने रीति रिवाजों और संस्कृति के प्रति प्रेम–भाव तथा उसमें नागरिक गुण उत्पन्न करना जिससे वह देश–प्रेमी तथा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें।[2]
4. बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय भाव तथा भाईचारे के भाव का विकास करना।
5. बच्चों में वैज्ञानिक भाव उत्पन्न करना।
6. बच्चों को प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।
7. बालकों को वास्तविक क्रियाओं और अनुभव की जानकारी कराके भावी जीवन के लिए तैयार करना।

मुख्य शब्द : उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता व सरकार की नीतियाँ का निष्कर्ष

प्रस्तावना

इन उपरोक्त उद्देश्यों को आज जनपद अलीगढ़ में कैसे लागू किया जा रहा है इसीलिये शोधार्थिनी ने उच्च प्राथमिक शिक्षा को ही अध्ययन के लिये चुना जिससे इसे सुधारा जा सके। उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का वितरण निम्न तरह से किया गया है।[3]

निरीक्षण

निरीक्षण का अधिकार राज्य सरकार को है वह समय–समय पर जिला स्तरीय अधिकारी से जाँच करा सकती है।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

उच्च प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए संस्थानों को अनुदान देने का कार्य राज्य सरकार का है।[4]

पाठयक्रम

उच्च प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार को हो परन्तु स्थानीय संस्थानों को अधिकार दिया जाए कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में विषय सरकार से अनुमति प्राप्त करके रख सके।[5]

अर्थव्यवस्था

सार्वजनिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय संस्थानों को उपयुक्त धन अनुदान के रूप में दें।

प्रशासन

उपरोक्त चार राज्य–उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक शिक्षा की समस्त व्यवस्था का उत्तदायित्व स्थानीय संस्थानों को दे देना चाहिए। राज्य सरकार केवल देख–रेख करती रहे। इस नियन्त्रण का रूप व्यवस्था के विभिन्न भागों में अलग–अलग होगा। अभी इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है।

अध्यापकों की नियुक्ति

प्रत्येक बड़ी नगरपालिका को अपने क्षेत्र में उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार हैं और प्रत्येक मण्डल शिक्षा बोर्ड में अध्यापकों की

नियुक्ति और उन पर नियन्त्रण का अधिकार कर्मचारी नियुक्ति बोर्ड को दिया जाए जिसका रूप बम्बई जैसा हों।

सेवा की शर्ते

राज्य सरकार की स्वीकृति द्वारा स्थानीय संस्थाएँ अध्यापकों की सेवा शर्ते निश्चित करें। जहाँ तक सम्भव हो यह पूरे राज्य में एक समान हो।[7]

उच्च प्राथमिक स्कूल अध्यापक स्थानीय संस्थानों के कर्मचारी

वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्कूल के अध्यापक स्थानीय संस्थानों के कर्मचारी समझे जाएँ।

अध्यापकों के अतिरिक्त कर्मचारी

राज्य सरकारें स्थानीय संस्थानों के शिक्षा विभाग में अध्यापकों के अतिरिक्त कार्य करने वाले लोगों के पद और वेतनमान निश्चित न करें।

पाठ्य पुस्तकें

राज्य सरकार सरकारी और गैर–सरकारी अधिकारियों के सामने सेउच्च प्राथमिक स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें निश्चित करें। जिन विषयों में एक से अधिक पुस्तकें हैं वहाँ वे किसी भी एक पुस्तक को उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रयोग लिए चुन सकते हैं।[8]

स्कूल में कार्य–समय और छुट्टियाँ

राज्य सरकार उच्च प्राथमिक स्कूलों के वार्षिक कार्य के न्यूनतम दिन निश्चित करें। इसके अधीन स्थानीय संस्थाऐं अवकाश और छुट्टियाँ निश्चित करें।[9]

उद्देश्य

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू हुए पाँच साल बीत गए है, किन्तु अभी तकउच्च प्राथमिक शिक्षा न तो फ्रिहो पाई हैं और न ही अनिवार्य। हम कितने ही बच्चों को जनपद अलीगढ़ में देख सकते हैं जो दुकानों पर काम करते हैं, रेलवे के डिब्बों में झाड़ू लगाने अथवा करतब दिखाने आते हैं, कितने घरों में काम करते हैं या फिर उन कारखानों में काम करते हैं जहाँ काफी खतरा है। इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्न भी हैं।

1. कानून बाल श्रम प्रतिबंधित है, पर इन दोनों कानूनों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कारण साफ है कि इससे शासक वर्ग सीधे प्रभावित नहीं होता।
2. भारत ने सभी जी–8 देशों की तरह समान शिक्षा प्रणाली नहीं अपनाई हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दो किस्म की शिक्षा व्यवस्थाएँ है एक पैसे वालों के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों की तथा दूसरी गरीब लोगों के लिए सरकारी विद्यालयों की।
3. भारत में कक्षा आठ तक पहुँचते–पहुँचते आधे बच्चे विद्यालय से बाहर हो जाते है। सिर्फ 10 प्रतिशत बच्चे ही विद्यालय की दहलीज पार कर महाविद्यालय में प्रवेश पाते हैं अभी तक हम सभी बच्चों के लिए एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाऐं हैं। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार ने विद्यालय स्तर पर बच्चों को अनुत्तीर्ण न करने की नीति अपनाई हुई है।
4. उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि प्रश्नों के उत्तर सार्वजानिक रूप से बोल–बोल कर लिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हमारे ज्यादातर बच्चों काबिल ही नहीं होंगे।[10]
5. यह बहुत शर्म की बात है कि हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट किए हुए बच्चे हिन्दी का एक वाक्य भी ठीक से लिख नहीं सकते। इसीलिए इन्हें कोई नौकरी पर रखना ही नही चाहता। अतः बेरोजगारी, जिनके लिए पूर्व की सरकार प्रति माह एक हजार बेरोजगारी भत्ता देने की योजना चला रही है, को नौकरी न मिल पाने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बेरोजगारी भत्ते की योजना सिर्फ पढ़े–लिखे बेरोजगारों के लिए ही है अनपढ़ के लिए तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना है। इस योजना में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, किन्तु अनुभव से पता चलता है कि यह बेरोजगार भत्ता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हैं नकल करने–कराने का बड़ा दबदबा होता है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता।

शोध पत्र का महत्त्व

आज जनपद अलीगढ़ में नकल माफिया करोड़ों रूपये का रोजगार करता है। इसकी जानकारी यू.पी. शासन तक है परन्तु होता कुछ भी नहीं है। इसलिये इस योजना के भरोसे शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने वाला। इसके लिए बेहतर प्रबंधन चाहिए। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्रांति की जरूरत है। सरकार को बदनाम मत करिए। सरकारी नियंत्रण खत्म हुआ तो अफरातफरी शिक्षा में मच जाएगी।[11]ऐसे ही कुछ विचार, कुछ गुरूमंत्र तो कुछ सुझाव राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन व प्रबंधन विश्वविद्यालय (न्यूपा) व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मंगलवार को यहां आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने सामने रखें। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विषयक में प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारी जुटे। मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने सरकारी स्कूलों की बदनामी को षड़यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कहने का चलन है कि सरकारी चीज खराब होगी। चाहे मुत मिलने वाली दवाई हो या फिर शिक्षा।[12]उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है लेकिन यहाँ एक क्रांति की जरूरत हैं उन्होंने केन्द्र पर निशाना साध कि 200 रूपये में ऐसा यूनिफार्म बनता है कि देखने से ही गरीब का यूनिफार्म दिखता है। शौचालय, पीने का पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करिए फिर देखिए हम नम्बर एक पर होंगे। न्यूपा के कुलपति आर गोविन्द ने कहा कि आज का बच्चा 21 वीं शताब्दी के हिसाब से पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नही कि शिक्षा उन्हें पीछे घसीट रही।[13]उन्होंने व्यवस्था को खराब बताकर बचने वाले अधिकारियों को गुरूमंत्र दिया कि सिस्टम को छोड़िए। उन्होंने प्रगति को आंकना जरूरी बताया और कहा कि यू.पी. में सबसे पहले जिला स्तरीय नियोजन की शुरूआत वाराणसी से हुई। 20 साल बाद देखना चाहिए कि क्या वाराणसी के स्कूल वाकी जनपदों से आगे है।

निष्कर्ष

शिक्षा के क्षेत्र में कुल सार्वजानिक खर्च है आज जी.डी.पी. का 3.31 प्रतिशत है जबकि कोठारी कमीशन ने

जी.डी.पी. का छह प्रतिशत खर्च किए जाने की अनुशंसा की है।[14]इस बजट में शिक्षा पर कुल बजटीय आवंटन जीडीपी का 0.69 प्रतिशत किया गया है जो 2012–13 के संशोधित अनुमान आर ई जी.पी.डी. के 0.66 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से बेहतर है। शिक्षा के अधिकार आर.टी.ई. एक्ट के क्रियान्वयन का जिम्मा सरकार के सर्व शिक्षा अभियान पर है लेकिन इसके लिए बजट आवंटन पिछली बार की तुलना में महत 3,613 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। इसमें 2012–13 के 23,645 करोड़ रूपये के बजटीय आवंटन आर.टी.ई. की तुलना में 2013–2014 में धनराशि को बढ़ाकर 27,258 करोड़ रूपये किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर आर.टी.ई. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिहाज से यह नाकाफी हैं स्पष्ट है कि इस तरह के अपर्याप्त बजटीय प्रावधानों से सभी बच्चों की पढ़ाई का सपना दूर की कौड़ी ही साबित होगा। नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा स्कीम लांच की गई है लेकिन उसके लिए भी महज 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। हालांकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए बजटीय प्रावधान पिछले साल के 2, 423 करोड़ रूपये की तुलना में इस बार बढ़ाकर 3,124 करोड़ किया गया है लेकिन यह भी 12 चीं पंचवर्षीय योजना में की गई सिफारिशों की तुलना में कम है। इसका प्रभाव जनपद अलीगढ़ कीउच्च प्राथमिक शिक्षा पर कैसा असर पड़ रहा है। स्पष्ट कहा जा सकता है इसका असर आज अलीगढ़ की शिक्षा पर बहुत ही विपरीत पड़ रहा है। इसे हमारी सरकारों के तुरन्त सुधारना चाहिएये। तभी सरकारी शिक्षा से हमारे जनपद के सभी तबको के बच्चो को लाभ मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रिपोर्ट आन द स्टेगनेशन एण्ड वेस्टेज इन प्राइमरी अपर स्कूल्स : प्राविधियल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजूकेशन इन बोम्बे 1941*
2. *शिविरा पत्रिका, ''मैं बोरी डूबन मरी रही किनारे बैठ'', मार्च 1981, पृ. 445*
3. *शिविरा पत्रिका, अप्रैल 1986, पृ. 484–489 तथा 521–522*
4. *नेशनल करिकुलन फार द प्राइमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशनः ए फ्रेम वर्क, ''नेशनल कौसिंल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, 1986*
5. *रिपोर्ट आन द स्टेगनेशन एण्ड वेस्टेज इन प्राइमरी स्कूल्स : प्राविधियल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजूकेशन इन बोम्बे 1941*
6. *स्वतक बैमसउेवितक*
7. *शिविरा पत्रिका, ''मैं बोरी डूबन मरी रही किनारे बैठ'', मार्च 1981, पृ. 455*
8. *Lari Ajad : JHSs Journal March 2010 Vol VIII P. 27*
9. *Lari Ajad : JHSs Journal March 2010 Vol VIII P. 35*
10. *जे.पी. नायकः एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडिया–ए प्रामिस टु कीप, बम्बई (एलाइड पब्लिशर्स) पृ. 40*
11. *ए0एल0 श्रीवास्तव : मध्यकालीन भारत का इतिहास, पृ. 100*
12. *उपाध्याय, डॉ0 भगवतशरणः भारतीय संस्कृति के स्त्रोत (दिल्लीः पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस) वर्ष 1983, पृ. 86*
13. *जे.पी. नायकः एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडिया–ए प्रामिस टु कीप, बम्बई (एलाइड पब्लिशर्स), पृ. 58*
14. *उपाध्याय जी0सी 'एजूकेशन फार ऑल' रीसर्च आर्टिकल, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिली 2013, पृ. 1–2*
15. *शुक्ला, सी.एस. ''भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास' इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ 2012, पृ. 50, 66*